न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 7ए/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. शिवलाल पुत्र चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिया (मृतक)
   - 1/1 बत्तन पत्नि शिवलाल
   - 1/2 खुशीराम पुत्र शिवलाल
   - 1/3 प्रकाश पुत्र शिवलाल
   - 1/4 राधेश्याम पुत्र शिवलाल
   - 1/5 भगवती पुत्री शिवलाल
   - 1/6 कैला पुत्री शिवलाल
   - 1/7 माया पुत्री शिवलाल

   जातियान ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिया तह0 नगर

—— वादीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर
2. तहसीलदार साहब तहसील नगर
3. प्रहलाद पुत्र अखैराम
4. ऋषिराम पुत्र अखैराम
5. श्रमन पुत्र अखैराम
6. बच्चूराम पुत्र जगराम
7. चरन पुत्र जगराम
8. शिवराम पुत्र रेखा

   जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिया तह0 नगर

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी0
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 12.02.2018

वादीगण की ओर से यह दावा दिनांक 02.09.1997 को संस्थित किया जिसमें तत्कालीन सहायक कलक्टर नगर द्वारा दिनांक 30.04.2001 को राज्य सरकार के विरूद्ध डिक्री पारित की गई । उक्त डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट प्रहलाद बगै0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील संख्या 183/2001 उनवानी प्रहलाद बगै0 बनाम शिवलाल बगै0 प्रस्तुत की जो दिनांक 23.11.2002 को अपील खारिज कर निर्णित कर दी गई तथा इस न्यायालय का निर्णय यथावत रखा । उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत हुई जिसको राजस्व मण्डल की

खण्डपीठ द्वारा दिनांक 11.06.2004 को निर्णित करते हुए आदेश दिया कि – ''परिणाम स्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है तथा दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण सहायक कलक्टर नगर को रिमाण्ड कर आदेश किए जाते हैं कि अपीलार्थी को दावे में प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर उन्हें जबाव दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे ।''

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 11.06.2004 की पालना में अपीलाण्ट प्रहलाद बगै0 को बतौर प्रति0 पक्षकार बनाया जाकर दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया ।

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि आ0ख0नं0 1032 बाके ग्राम मूडिया में अवस्थित है जिसका साविक ख0नं0 943/3.08 व 944 रकबा 10 बीघा 12 विस्वा बाके ग्राम मूडिया में है । उक्त ख0नं0 का वादी खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है । वादी का कथन है कि साबिक ख0नं0 943/3.08 के हाल ख0नं0 1031/0.51 बाद सोटिलमेन्ट कायम किये गये जिससे वादी की खातेदारी का 4 ऐयर रकबा कम कर हाल ख0नं0 1032 में मिला दिया गया । इसी प्रकार साबिक ख0नं0 944/10.12 के हाल ख0नं0 1033/1.60 कायम किये गये जिसमें वादी को खातेदारी का 10 ऐयर रकबा हाल खसरा नम्बर 1032 में मिला दिया गया है । वादी का कथन है कि साबिक आ0ख0नं0 943 व 944 के मध्य कोई भी रास्ता नही है । सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने वादी की खातेदारी आराजी ख0नं0 943 व 944 के मध्य कोई भी रास्ता नही है । सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने वादी की खातेदारी आराजी ख0नं0 943 व 944 में 14 ऐयर रकबा कम कर खिलाफ कानून व मौका आ0ख0नं0 1032/0.29 का रास्ता कायम कर दिया गया । वादी को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दे डाली है इसलिए वादी को ख0नं0 1032 में 14 ऐयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार रिकार्ड में खातेदारी से दर्ज किया जावे ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी को ग्राम मूडिया में स्थित होना स्वीकार करते हुए शेष बिन्दुओं को अस्वीकार किया तथा अंत में निवेदन किया है कि दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा0 8 की ओर से जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि वादी ने जिस ख0नं0 1032 से अपना रकबा पूरा करने का दावा प्रस्तुत किया है । वह गै0मु0 रास्ता रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर भी रास्ता है जिसमें होकर प्रतिवादीगण तथा अन्य ग्रामीण लोग अपने–अपने खेतों पर काश्तकारी के लिए आते–जाते हैं जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। विदि वजह कानूनन वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 में निहित प्राबधानों की पूर्ति करनी चाहिए थी जिससे दावा कानूनी बिन्दु पर काबिल खारिज है । हाल ख0नं0

1032/0.29 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज था । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दि0 02.06.11 को निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वि0आ0 साविक ख0नं0 944 रकबा 10 बीघा 12 विस्वा व ख0नं0 943 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा हाल ख0नं0 1031/0.51, 1033/1.60 वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसमें हाल ख0नं0 1031 में से 0.04 हैक्टे0 ख0नं0 1033 में से 0.10 हैक्टे0 रकबा कम कर हाल ख0नं0 1032 मे मिला दिया तथा सैटिलमेन्ट ने गलत रास्ता कायम किया है जिसमें वादी के कब्जे काश्त 0.14 हैक्टे0 रकबा कम कर ख0नं0 1032 में मिला दिया है जिसे वादी दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
2. आया आ0ख0नं0 1032/0.29 ग्राम मूंडिया सिवायचक रास्ता है जिसमें वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है ? —— जिम्मे प्रति0
3. आया ख0नं0 1032/0.29 ग्राम मूंडिया सिवायचक रास्ता है जिसमें वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है ? —— जिम्मे प्रति0
4. दीगर दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2053–56 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2049–52 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2025 प्रदर्श–3, नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श–4, नकल नक्शा साविक प्रदर्श–5, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–6, नोटिस 80सीपीसी प्रदर्श–7 दस्तावेजात प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी खुशीराम पी0डब्ल्यू0–1, गवाह श्यामलाल पी0डब्ल्यू0–2, रामदयाल पी0डब्ल्यू0–3 के बयान कराये हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 01.09.2011 को उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई ।

हमने वादी0 के विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है –

तनकी नं0 1 इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादीगण पर है । नकल जमाबंदी सं0 2053–56 प्रदर्श–1 बाके ग्राम मूडिया के खाता संख्या 1032/0.29 गै0मु0 रास्ता दर्ज है । नकल खसरा पत्रक भूप्रबंध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार हाल ख0नं0 1032 साविक ख0नं0 332 मिन0 से बनाया जाना साबित है तथा हाल ख0नं0 1031/0.51 साविक ख0नं0 943 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा से व हाल ख0नं0 1033/1.60 साविक ख0नं0 944 रकबा 10 बीघा 12 विस्वा से बनाया जाना साबित होता है तथा नकल जमाबंदी सं0 2025 प्रदर्श–3, में साविक ख0नं0 943 व 944 शिवलाल वल्द चिरंजी कौम हैवासी ब्राहम्ण सा0देह के नाम बगैर खातेदार दर्ज है । नकल नक्शा हाल प्रदर्श–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि हाल ख0नं0 1028, 1036, 1029, 1034, 1030, 1031, 1032 के मध्य में हाल ख0नं0 1032 कायम है । नायब तहसीलदार नगर की मौका रिपोर्ट ख0नं0 1032 बाके ग्राम मूडिया दिनांक 24.07.2000 में अंकित किया है कि ग्राम मूडिया के दक्षिण पूर्व में यह विवदित गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1032 स्थित है जो

मुख्य आम रास्ता से पूर्व दिशा के खेतों पर जाने का रास्ता है जो ख0नं0 1036, 1034, 1033, 1049 एवं 1028, 1029, 1030, 1031 के बीच से जाता है जैसा की राजस्व रिकार्ड में नक्शा में दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से ख0नं0 1032 गै0मु0 रास्ता है जो आज भी मौके पर मौजूद है तथा काश्तकारान के आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है । वादी द्वारा ख0नं0 1032/0.29 में से 0.14 हैक्टे0 पर अपने आपको खातेदार घोषित करने बावत् अनुतोष चाहा है । कानूनन सार्वजनिक उपयोग की भूमि0मु0 रास्ता पर खातेदारी प्रदान किया जाना धारा 16 आर0टी0एक्ट0 से बाधित होने के कारण वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है । अतः तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 2 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी0 पर है । नकल जमाबंदी सम्वत् 2053–56 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 1 पर आ0ख0नं0 1032/0.29 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा गै0मु0 रास्ता में खातेदारी अधिकार धारा 16 आर0टी0एक्ट0 से बाधित है । अतः तनकी नम्बर 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 3 इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0 पर है । नकल जमाबंदी सं0 2053–56 में हाल ख0नं0 1032/0.29 गै0मु0 रास्ता ग्राम के मार्ग तथा पगडंडिया दर्ज रिकार्ड है । नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग के अनुसार हाल ख0नं0 1032/0.29 साविक ख0नं0 332 मिन से बनाया जाना साबित है तथा खाता नम्बर 22, 23 नाम कृषक गत व हाल में सिवायचक विला लगानी दर्ज है जबकि वादी0 की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2025 के साविक ख0नं0 943 व 944 दर्ज होना साबित है । इस प्रकार यह साबित नही होता है कि वादी की खातेदारी के साविक ख0नं0 943 व 944 का कुछ रकबा हाल ख0नं0 1032/0.29 में शामिल किया गया हो । इस प्रकार तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी नम्बर 1 वादी0 के विरूद्ध तथा तनकी नम्बर 2 व 3 प्रतिवादी0 के पक्ष में निर्णित की गई हैं जिससे दावा वादीगण साबित नही होने के कारण डिक्री होने योग्य नही है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

आदेश आज दिनांक 12.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर